# BCCI BULLETIN

Vol. 52 | JANUARY 2021 | No. 1

Estd. 1926

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES


# 72वाँ गणतंत्र दिवस समारोह

दिनांक 26 जनवरी, 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल द्वारा चैम्बर प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर 72वाँ गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर चैम्बर सदस्य काफी संख्या में उपस्थित थे।

## चैम्बर अध्यक्ष इनकम टैक्स गजटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन, बिहार–झारखण्ड यूनिट के बिनियल जेनरल बॉडी मीटिंग में अतिथि के रूप में हुए शामिल

कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। उनकी दाँयीं ओर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री कौशलेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य।

बिहार चैम्बर के प्रांगण में दिनांक 19 जनवरी 2021 को इनकम टैक्स गजटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन, बिहार–झारखण्ड यूनिट द्वारा बिनियल जेनरल बॉडी

## अध्यक्ष की कलम से......

प्रिय बन्धुओं,

हम सभी देशवासियों के लिए खुशी की बात है कि कोरोना वायरस से सुरक्षा हेतु दो–दो स्वदेशी वैक्सीन मिल गयी है। दिनांक 16 जनवरी, 2021 का दिन ऐतिहासिक था क्योंकि कोरोना से जंग में भारत को सफलता मिली और उसी दिन से देश के केन्द्रशासित प्रदेशों में टीकाकरण (Vaccination) प्रारम्भ हो चुका है। इसके लिए देश के वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों सहित भारत सरकार के प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं। वैक्सिन की उपलब्धता से राज्य के व्यवसायियों में नई आशा जगी है। बाजार में छायी सुस्ती समाप्त होगी। लोग घरों से निकलेगे और आवश्यक सामानों की खरीदारी कर सकेंगे। फिर भी कोरोना से बचाव हेतु दिशा–निर्देशों का पालन करते रहना सभी के लिए हितकर होगा।

1 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत होने वाले केन्द्रीय बजट 2021–2022 हेतु चैम्बर की तरफ से माननीय केन्द्रीय वित मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को सुझाव भेजे गये हैं जिसमें बिहार के व्यवसासियों के हितार्थ उत्तर–पूर्वी राज्यों की तर्ज पर बिहार के लिए विशेष पैकेज और करों में छूट देने की मांग की गयी है। विशेष पैकेज मिलने से बिहार में निवेश को आकर्षित करने एवं राज्य के उद्योगों को अन्य राज्यों के उद्योगों से प्रतिस्पर्द्धा में मददगार होगी ।

**इसके अतिरिक्त GSTR 3B का पुनरावलोकन करने, प्रत्यक्ष कर में संशोधन, बिहार में कॉमर्शियल बैंकों की कम से कम एक प्रधान कार्यालय स्थापित करने, बिहार एवं झारखण्ड में इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन एवं कम्पनी से संबंधित विवादों के निष्पादन हेतु एनसीएलटी की एक–एक बेंच पटना में स्थापित करने, अमृतसर– दिल्ली–कोलकाता इण्डस्ट्रीयल कोरिडोर के मार्ग में दो हजार एकड़ में इण्डस्ट्रीयल टाउनशिप बनाने का प्रावधान करने की भी मांग की गयी है।**

पत्र में बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट की खराब कनेक्टिवीटी, ग्रामीण क्षेत्रों में GST के अच्छे जानकार व कंसलटेंट की अनुपलब्धता के कारण छोटे व्यापारियों को GST का अनुपालन में कठिनाई होती है और मंहगा पड़ता है। अतः केन्द्र सरकार को विशेष रियायत देनी चाहिए। **ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर जीएसटी मित्रों का गठन किया जाना चाहिए। पर्यटन के बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु विशेष प्रावधान किये जाने की मांग भी की गयी है।**

चैम्बर ने माननीय केन्द्रीय वित मंत्री को यह भी सुझाव दिया है कि **उत्तर बिहार में तेजी से औद्योगिकरण हेतु उत्तर बिहार को गैस पाईप लाईन से जोड़ा जाये।** शिक्षा में विकास हेतु करों में छूट दी जाय। पटना एम्स की सुविधाएं बढ़ाने के अलावे पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या, बेहतर गुणवत्ता एवं सुविधा हेतु प्रावधान का भी सुझाव दिया गया।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दिनांक 13.01.2021 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया है कि जिसके अन्तर्गत अपशिष्ट प्लास्टिक को Recycle कर अन्य उत्पाद बनाने वाली इकाईयों से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के तहत 15 दिनों के अन्दर निबन्धन कराने की सूचना दी गई है अन्यथा उद्योगों को बन्द करने तथा उनसे पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली की कार्रवाई करने का उल्लेख किया गया है।

इस संबंध में चैम्बर द्वारा सरकार से अनुरोध किया गया है कि कोई भी दंडात्मक कार्रवाई के पूर्व इस क्षेत्र के कार्यरत उद्यमियों को जागरूक किया जाए अन्यथा उद्योग बन्द हो जाएंगे।

माप–तौल उपकरणों के सत्यापन–मुहरांकन के मद में व्यवसायियों द्वारा जमा किये जाने वाले नकद राशि की प्रथा को समाप्त कर अब दिनांक 1 फरवरी, 2021 से On Line कर दिया गया है साथ ही माप–तौल उपकरणों के मरम्मति हेतु लिए जाने वाले शुल्कों की एकरूपता हेतु दरें निर्धारित की गई है। इससे संबंधित आदेश की प्रति इस बुलेटीन में भी मुद्रित है।

सादर,

आपका

**पी0 के0 अग्रवाल**

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते एसोसियेशन के पदाधिकारी।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल को मेमेंटो भेंटकर सम्मानित करते एसोसियेशन के पदाधिकारी।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करते एसोसियेशन के पदाधिकारी।

मीटिंग आयोजित हुई। उक्त कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल अतिथि के रूप में आमंत्रित थे।

इस अवसर पर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, बिहार-झारखण्ड श्री कौशलेन्द्र कुमार सिंह, भा.रा.से. एवं आयकर विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने दीप प्रज्वलित कर किया।

कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को पुष्पगुच्छ, मेमेंटो एवं शाल भेंट कर सम्मानित भी किया गया।

## श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री ने अपने New Years Greetings में भी ''आत्मनिर्भर भारत'' को सामुहिक रूप से बढ़ावा देने पर बल दिया है जिसकी प्रति उद्धृत है।

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री
Prime Minister

New Delhi
पौष 22, शक संवत् 1942
12th January, 2021

**Shri P. K. Agrawal Ji,**

Heartfelt gratitude to you for sending me the new year greetings. Wishing you a happy 2021 as well.

May the new year bring new energy and good luck in your life. My best wishes to you for good health and well-being on the occasion.

A resolute nation is marching ahead towards building a prosperous and *Aatmanirbhar Bharat*. With collective efforts, may the nation continue to scale new heights of development.

With heartiest new year wishes to you once again.

Yours,

**(Narendra Modi)**

**Shri P. K. Agrawal**
President
Bihar Chamber of Commerce & Industries
Khemchand Chaudhary Marg
Patna
Bihar - 800001

## आधारभूत संरचना के लिए विशेष पैकेज की हो घोषणा

बिहार आर्थिक एवं औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य है। राज्य के पास उतने संसाधन भी नहीं हैं, जिसके बल पर राज्य की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाकर अन्य विकसित राज्यों के समकक्ष लाने का प्रयास किया जाये। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो यह आवश्यक है कि बिहार जैसे आर्थिक एवं औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों का चहुंमुखी विकास किया जाये। इसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से विशेष दर्जा दिया जाये। अगर यह तकनीकी रूप से संभव नहीं है तो राज्य की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा इस बजट में हो, ये बातें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने प्रभात खबर को विशेष भेंट में कहीं।

उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों के निवेश की सीमा सीमित है। जब तक राज्य में स्टील, अल्युमिनियम, पेट्रोकेमिकल जैसे बड़े उद्योग नहीं लगते, तब तक राज्य का आर्थिक एवं औद्योगिक विकास संभव नहीं हो पायेगा। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार की ओर से राज्य को विशेष सुविधा प्रदान की जाये, जिससे राज्य सरकार अपने स्तर से बड़े निवेशकों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए उन्हें विशेष सुविधाएं एवं रियायत प्रदान करे। अगर राज्य में बड़े-बड़े उद्योग लगेंगे, तो राज्य का आर्थिक विकास होगा एवं लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर राज्य को विशेष पैकेज दिया जाता है, तो राज्य की आधारभूत संरचना, जैसे-स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, संचार, पेयजल, सड़क, एयरपोर्ट आदि को विकसित करने में मदद मिलेगी।

**आयकर में मिले छूट :** अग्रवाल ने कहा कि सूबे में लगने वाले नये उद्योगों के लिए पूर्व में आयकर अधिनियम 80 1B (5) के तहत तीन से पाँच साल के लिए आयकर में छूट प्रदान की गयी थी, उसे एक अप्रैल, 2004 से वापस ले लिया गया था। आशा है इस बार के बजट में उसे फिर से बहाल किया जायेगा।

बिहार चैम्बर के अध्यक्ष ने कहा कि बजट में मुगलसराय से झाझा तीसरी रेल लाइन के साथ-साथ राज्य की अन्य लंबित रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कराने के लिए केन्द्र सरकार से बजट में विशेष प्रावधान करने की उम्मीद है। इससे संबंधित सहायक इकाइयाँ राज्य में लगेंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि पटना से शताब्दी, दूरंतो एवं एक अतिरिक्त राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों की मांग की जा रही है। बावजूद पिछले कई वर्षों से इसकी अनदेखी की जा रही है। ऐसी आशा है कि इस साल के बजट में अवश्य ध्यान रखा जायेगा।

**(प्रभात खबर, 12.1.2021)**

## वैक्सीन आने से मुस्कुरायेगा कारोबार व उद्योग

कोरोना का टीका के आने से राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों में नयी आशा जगी है। कोरोना महामारी के कारण बाजार में सुस्ती का दौर खत्म होगा और उसमें तेजी आएगी। ये बातें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहीं। उन्होंने कहा कि अभी तक जो लोग आवश्यक होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलना चाह रहे थे। वह पूर्व की तरह भयमुक्त होकर बाजार में निकलेंगे। साथ ही खुलकर अति आवश्यक वस्तुओं के साथ-साथ अन्य वस्तुओं की भी खरीदारी करना चाहेंगे।

**(साभार : प्रभात खबर, 9.1.2021)**

## Photograph taken from Coffee Table Book titled "Memories of the onset years of the Hon'ble Governor of Sikkim - Ganga Prasad" recieved from Raj Bhawan, Gangtok, Sikkim

Hon'ble Governor with his Bihar counterpart Late Lal Ji Tandon at inaugural function of Skill Development Building at Bihar Chamber of Commerce and Industries, Patna.

*Memoirs of The onset years of Hon'ble Governor of Sikkim Shri Ganga Prasad*

**Chamber is grateful to Raj Bhawan, Sikkim for providing space for chamber in the Coffee Table Book.**

## बिहार चैम्बर अध्यक्ष बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित 'इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर' में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए

ट्रेड फेयर का फीता काटकर उद्घाटन करते माननीया उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी, माननीया महापौर पटना श्रीमती सीता साहू, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सह अध्यक्ष श्रीमती सुपर्णा डी. गुप्ता।

ट्रेड फेयर का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ करते माननीया उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी, माननीया महापौर पटना श्रीमती सीता साहू एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं बंगाल चैम्बर की सह अध्यक्ष श्रीमती सुपर्णा डी. गुप्ता।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करती बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सह अध्यक्ष श्रीमती सुपर्णा डी. गुप्ता।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करती बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सह अध्यक्ष सुपर्णा डी. गुप्ता।

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा 'इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर' का उद्घाटन समारोह स्थानीय ज्ञान भवन, पटना में दिनांक 22 जनवरी 2021 को आयोजित हुआ। यह ट्रेड फेयर दिनांक 22 जनवरी से 01 फरवरी 2021 (25 जनवरी छोड़कर) तक चलेगा।

इस अवसर पर माननीया उप मुख्यमंत्री, बिहार श्रीमती रेणु देवी मुख्य अतिथि, माननीया महापौर पटना श्रीमती सीता साहू सम्मानित अतिथि, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल विशेष अतिथि के रूप में एवं बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की सह अध्यक्ष सुपर्णा डी. गुप्ता भी उपस्थित थीं।

माननीया उप मुख्यमंत्री, बिहार श्रीमती रेणु देवी, पटना की महापौर श्रीमती सीता साहु, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की सह अध्यक्ष सुपर्णा डी. गुप्ता ने ट्रेड फेयर का उद्घाटन फीता काटकर एवं दीप प्रज्जवलित कर किया।

इस अवसर पर चैंबर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंटकर स्वागत एवं सम्मानित भी किया गया।

चैंबर अध्यक्ष ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया।

## कोविड–19 के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए चैम्बर की कार्यकारिणी समिति की तीसरी बैठक Virtual एवं Physical Mode में संपन्न हुई

कार्यकारिणी समिति की बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

बिहार चैम्बर की कार्यकारिणी समिति की सत्र 2020–2021 की तीसरी बैठक दिनांक 16 जनवरी 2021 को चैम्बर प्रांगण में Virtual एवं Physical Mode में संपन्न हुई।

बैठक में कोविड–19 के दिशा–निर्देशों का पूर्णत: पालन किया गया था। बैठक में काफी संख्या में Physically एवं Virtual Mode में सदस्यगण उपस्थित हुए।

# माननीय सांसद व पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री कुमार सुशील मोदी से मिला चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल

माननीय सांसद व पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी को पुष्पगुच्छ देकर जन्मदिन की बधाई देते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर। साथ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 5.1.2021 को उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर के नेतृत्व में माननीय सांसद व पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी से मिला और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएँ दीं। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, श्री सावल राम ड्रोलिया, श्री सुनील सराफ एवं श्री आलोक पोद्दार शामिल थे।

( साभार : राष्ट्रीय सहारा , 6.1.2021 )

# कोविड–19 के दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए चैम्बर द्वारा स्थापित फिजियोथेरापी एंड फिटनेस सेन्टर पुनः संचालित हुई

चैम्बर द्वारा स्थापित फिजियोथेरापी एंड फिटनेस सेन्टर जिसे कोरोना के चलते स्थगित किया गया था, उसे कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए पुनः संचालित कर दिया गया है।

माननीय सदस्य फिजियो-थेरापी और फिटनेस की चिकित्सा, कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए करा सकते हैं।

फिजियोथेरापी सेन्टर में मरीजों की चिकित्सा करते फिजियोथेरापी के डॉक्टर

## प्लास्टिक उद्योगों को बंद करने की कार्रवाई पर सरकार हस्तक्षेप करे

अपशिष्ट प्लास्टिक को रिसाइकिल कर अन्य उत्पाद बनानेवाली उद्योगों को 15 दिनों के अंदर निबंधन कराने के प्रदूषण बोर्ड के अल्टीमेटम पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने चिंता व्यक्त की है। साथ ही चैम्बर ने उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली की कारवाई के निर्णय पर फिर से विचार करने की मांग की है। चैम्बर के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि सूबे में, जो भी उद्योग हैं वह सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के ही हैं। उसमें भी अधिकतर संख्या सुक्ष्म एव लघु श्रेणी की है। ऐसी परिस्थिति में दंडात्मक प्रक्रिया अपनाने से पूर्व पर्षद को चाहिए कि इस क्षेत्र में बिहार में कार्यरत सभी उद्यमियों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें विस्तृत जानकारी से अवगत कराया जाये। अन्यथा विज्ञापन में बताये गये आदेश के अनुसार इस तरह के सभी उद्योगों बंद हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगीकरण की गति में तेजी आये, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन पर्षद की मंशा वर्तमान उद्योगों को भी बंद करवाने की है। अग्रवाल ने बताया कि जिस नियम का उल्लेख पर्षद द्वारा किया जा रहा है। उसी में एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के गठन का भी प्रावधान है। छह माह में कम से कम एक बार उसकी बैठक करनी है। समिति का गठन से संबंधित अधिसूचना 2018 को जारी कर दी गयी थी, लेकिन लगभग दो साल बीतने के बाद भी कोई बैठक नहीं हुई है। केवल नियम का हवाला देकर उद्योगों को बंद करके दंडित करने का निर्णय लेना न्यायसंगत नहीं है।

**मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से किया अनुरोध :** चैम्बर ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री-सह-पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि राज्य में कार्यरत अपशिष्ट प्लास्टिक को रिसाइकल कर अन्य उत्पाद बनानेवाली इकाइयों को बंद होने से बचाने के लिए आवश्यक निर्णय लिया जाये। ( साभार : प्रभात खबर, 16.1.2021 )

# चैम्बर उपाध्यक्ष ने आर.बी.एल. बैंक की पाटलिपुत्र शाखा का किया उद्‌घाटन

फीता काटकर आर.बी.एल. बैंक की पाटलिपुत्र शाखा का उद्घाटन करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं बैंक के अधिकारीगण।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर ने दिनांक 18 जनवरी 2021 को आर.बी.एल. बैंक की पाटलिपुत्र शाखा का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर आर.बी.एल. बैंक के कन्ट्री हेड श्री सुनील मुद्रा एवं वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

## बीसीसीआई ने मांगा बिहार के लिए विशेष पैकेज और कर में छूट

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (बीसीसीआई) ने राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय बजट 2021-2022 के लिए बिहार के व्यवसायियों और उद्यमियों के संबंध में केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को सुझाव भेजा है। भेजे सुझाव में केन्द्रीय वित्तमंत्री में कई तरह की मांगें की गई है। केन्द्रीय बजट तैयार करते समय बिहार के व्यापारियों और उद्यमियों के हितों के लिए भेजे गए प्रस्ताव में उत्तर-पूर्वी राज्यों की तर्ज पर बिहार के लिए विशेष पैकेज और करों में छूट देने की मांग की गई है। बीसीसीआई की तरफ से केन्द्र को भेजे सुझाव में कहा गया है कि राज्य को विशेष पैकेज मिलने से यहाँ निवेश को आकर्षित करने व राज्य के उद्यमियों को अन्य राज्यों के उद्यमियों से प्रतिस्पर्धा करने में काफी मदद मिलेगी।

**सुझाव :** • उत्तर-पूर्वी राज्यों की तरह विशेष पैकेज व करों में छूट देने की मांग • राज्य में आयकर की धारा 80 बी को फिर से लागू किया जाए • 01 अप्रैल 2014 के पहले 26 जिलों में दी गई थी छूट

**जीएसटी अनुपालन में परेशानी :** बीसीसीआई द्वारा भेजे गए पत्र में केन्द्रीय वित्तमंत्री से कहा गया है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इंटरनेट की खराब कनेक्टिविटी, जीएसटी के अच्छे जानकार व कन्सलटेंट की उपलब्धता नहीं रहने के कारण छोटे व्यापारियों को जीएसटी अनुपालन में करना कठिन और महंगा पड़ता है। इसलिए केन्द्र सरकार को विशेष रियायत देना चाहिए। ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर जीएसटी मित्रों का गठन किया जाना चाहिए। राज्य में पर्यटन के बुनियादी ढाचाओं के विकास के लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए।

**ये भी हैं मांगें :** • जीएसटीआर 3बी का पुनरावलोकन किया जाए • प्रत्यक्ष कर में संशोधन किया जाये • बिहार में कॉमर्शियल बैंकों की कम से कम एक प्रधान कार्यालय स्थापित किया जाए • बिहार एवं झारखण्ड में इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन एवं कंपनी से संबंधित विवादों के निष्पादन हेतु एनसीएलटी का एक-एक बेंच पटना में स्थापित कराया जाये • अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर के मार्ग में दो हजार एकड़ में इंडस्ट्रीयल टाउनशिप बनाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

**ये भी सुझाव दिये गये :** बीसीसीआई ने केन्द्रीय वित्तमंत्री को सुझाव दिया है कि राज्य में आयकर की धारा 80 बी को फिर से लागू किया जाए। 1 अप्रैल 2014 के पहले राज्य के 26 जिलों में यह छूट दी गयी थी। बाद में इसे वापस ले लिया गया। उद्यमियों व व्यापारियों ने केन्द्रीय वित्तमंत्री से मांग की है कि उत्तर बिहार में तेजी से औद्योगीकरण के लिए नार्थ बिहार को गैस पाइपलाइन से जोड़ा जाये। शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए करों में छूट प्रदान करें। पटना एम्स की सुविधाएँ बढायी जानी चाहिए और पंचायत स्तर पर प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या बढ़ाने एवं बेहतर सुविधाओं के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

(साभार : हिन्दुस्तान, 9.1.2021)

## पटना की सभी सड़कों की मरम्मत और देखरेख की जवाबदेही तय हो

राजधानी में नगर निगम की सैकड़ों सड़कों का कई दशकों से नहीं बनाया जाना और पथ निर्माण की सड़कों में कटिंग, अतिक्रमण व मरम्मत में देरी से राहगीरों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि शहर के किसी भी गली मोहल्लों की सड़क हो या मुख्य पथ, लोगों को आने-जाने में परेशानी तय है। निगम की सड़कें मरम्मत व निर्माण के अभाव में गड्ढों में गुम हैं तो पथ निर्माण की सड़कें विभिन्न कामों से खुदाई करने, अतिक्रमण से सिमट जाने और सड़कों के विभाग में ट्रांसफर होने के बाद भी राशि के अभाव में टेंडर नहीं हो पाने से खराब हैं। अखबार हिन्दुस्तान की ओर से जर्जर सड़कों का जंजाल अभियान के 10 दिन बाद हमने सड़कों से किसी न किसी रूप में सरोकार रखने वाले लोगों की राय जानी। इसमें कमोबेश सबने माना कि सड़कों की स्थिति राजधानी में उम्मीद के अनुरूप सही नहीं है। लोगों का कहना है कि पथ निर्माण की तर्ज पर ही निगम की सड़कों का मेंटेनेंस व देखरेख के लिए नीति बनाई जाए। वहीं, लोगों की राय इस बात को लेकर भी है कि निगम की सड़कों के रखरखाव के लिए सरकार अलग से नीति बनाए। कारोबार जगत के लोग जर्जर सड़कों से व्यवसाय को प्रभावित होना बता रहे हैं तो डॉक्टर की नजर में जर्जर सड़कें गर्भवती महिलाओं के लिए भी परेशानी की वजह हैं। पेश हैं राजधानी के अलग-अलग क्षेत्र के लोगों की वाट्सएप संवाद में आयी राय।

**खराब सड़क से बढ़ता है लोगों की जेब पर बोझ :** सड़क की जर्जर स्थिति का असर सीधे आर्थिक रूप से व्यक्ति के जेब पर पड़ता है। यातायात सुगम नहीं होने से वाहनों में ईंधन की खपत होती है। इससे वाहनों के रखरखाव पर भी अधिक खर्च करना पड़ता है। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में अधिक समय भी लगता है। जर्जर सड़कों के कारण कई बार वाहन पलट जाने से व्यापारियों को आर्थिक नुकसान भी उठना पड़ता है। इस ओर अभी ध्यान देना बहुत जरूरी है।

– **मुकेश कुमार जैन**, उपाध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 9.1.2021)

## दिसम्बर में GST की रिकॉर्ड 1.15 लाख करोड़ की वसूली

देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के बाद से दिसम्बर 2020 में अब तक की सबसे अधिक 1.15 लाख करोड़ रुपए वसूली हुई। दिसम्बर 2019 में इसी महीने में संग्रहित 1.03 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 12 फीसद अधिक है। जीएसटी संग्रह में आए उछाल से स्पष्ट संकेत हैं कि अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है।

इससे पिछले महीने नवम्बर, 2020 में यह राशि 1.04 लाख करोड़ रुपए रही थी। लॉकडाउन के बाद दिसम्बर 2020 लगातार तीसरा महीना है जिसमें जीएसटी राजस्व संग्रह एक लाख करोड़ रुपए के पार रहा है। इससे पहले अक्टूबर 2020 में यह राशि 1.05 लाख करोड़ रुपए रही थी। इससे पहले अप्रैल 2019 में सबसे अधिक 1.13 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहित हुआ था।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर 2020 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1,15,174 करोड़ रुपए रहा। इसमें सीजीएसटी 21,365 करोड़

# चैम्बर ने मनायी पूर्व अध्यक्ष स्व. खेमचन्द चौधरी की 46वीं पुण्य तिथि

स्व० खेमचन्द चौधरी की तस्वीर पर माल्यार्पण करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।
साथ में श्री सबल राम ड्रोलिया, श्री विशाल टेकरीवाल, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं श्री अमित मुखर्जी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 14 जनवरी, 2021 को चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष स्व० खेमचन्द चौधरी जी की 46वीं पुण्य तिथि मनायी गयी।

इस अवसर पर स्व० चौधरी को श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके व्यक्तित्व एवं कीर्तित्व को याद किया गया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बताया कि स्व० चौधरी 14 जनवरी, 1975 को चैम्बर की ओर से जरूरतमन्दों के बीच कम्बलों का वितरण करने हेतु कार से दरभंगा जा रहे थे। रास्ते में कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गयी थी। उसी समय से प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को उनकी पुण्य तिथि मनाकर उन्हें याद किया जाता है।

उन्होंने आगे कहा कि वे व्यापार, उद्योग के साथ सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनकी मृत्यु भी परोपकार करते ही हुई।

स्व० चौधरी के पौत्र श्री अमर चौधारी ने इस अवसर पर कहा कि चैम्बर 46 वर्षों से मेरे दादा जी की पुण्य तिथि मना रहा है इसके लिए चैम्बर का हृदय से आभारी हूँ।

श्रद्धांजलि सभा में महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, श्री राजा बाबू गुप्ता, श्री सांवलराम ड्रोलिया, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय उपस्थित हुए एवं स्व० चौधरी को श्रद्धा सुमन अर्पित किये।

---

रुपए, एसजीएसटी 27,804 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 57, 426 करोड़ रुपए और 8579 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति उपकर शामिल है। आईजीएसटी में 27,050 करोड़ रुपए और क्षतिपूर्ति उपकर में 971 करोड़ रुपए आयातित वस्तुओं पर संग्रहित कर शामिल है। मंत्रालय के अनुसार 31 दिसम्बर तक 87 लाख करदाताओं ने जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल किया है।

सरकार ने आईजीएसटी राजस्व में से 23,276 करोड़ रुपए सीजीएसटी में और 17,681 करोड़ रुपए एसजीएसटी में हस्तातंरित किए हैं। नियमित हस्तातंरण के बाद दिसम्बर 2020 में केन्द्र सरकार को 44,641 करोड़ रुपए और राज्यों को 45,485 करोड़ रुपए मिले हैं। **( साभार : राष्ट्रीय सहारा, 2.1.2021 )**

## कर्ज देने में सीमांचल के बैंक सबसे आगे, मुंगेर सबसे कंजूस

• 43.11 फीसद है बिहार के बैंको का सीडी रेशियो • 75.07 फीसद सीडी रेशियो के साथ पूर्णिया सबसे आगे, किशनगंज और अररिया जिले के बैंकों का सीडी रेशियो भी बेहतर • 30 जिले ऐसे जिनका सीडी रेशियो औसत से पीछे

बिहार में कर्ज देने में सीमांचल के बैंक सबसे आगे हैं। पूर्णिया, किशनगंज और अररिया जैसे जिलों में बैंकों का सीडी रेशियो बिहार में सबसे अच्छा है। इन तीनों ही जिलों में सीडी रेशियो 58-75 फीसद के आसपास है। राजधानी होने के बावजूद पटना के बैंक औसत से भी पीछे हैं।

स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार के बैंकों का सीडी रेशियो (जमा-ऋण अनुपात) 43.11 फीसद है, जिसे कम से कम 60 फीसद के आसपास होना चाहिए। इसमें करीब 30 जिले ऐसे हैं, जिनका सीडी रेशियो औसत से भी कम है। सबसे बढ़िया सीडी रेशियो पूर्णिया जिले का है, जो 75.07 फीसद है। किशनगंज 60.57 फीसद के साथ दूसरे और अररिया 58.66 फीसद के साथ दूसरे और अररिया 58.66 फीसद के साथ तीसरे स्थान पर है। सबसे खराब सीडी रेशियो वाला जिला मुंगेर है। यहाँ बैंकों का सीडी रेशियो महज 25 फीसद है। पिछले दिनों हुई बैठक में उपमुख्यंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सभी बैंकों को सीडी रेशियो ठीक करने का टास्क दिया है।

| **सबसे बेहतर पाँच जिले** | | **सबसे बेहतर पाँच बैंक** | |
|---|---|---|---|
| पूर्णिया | 75.07 | उत्कर्ष एसएफबी | 631.74 |
| किशनगंज | 60.57 | उज्जीवन एसएफबी | 387.53 |
| अररिया | 58.66 | इंडसइंड बैंक | 365 |
| खगड़िया | 56.23 | बंधन बैंक | 226.57 |
| पश्चिमी चंपारण | 55.58 | जम्मू कश्मीर बैंक | 128.26 |
| **सबसे खराब पाँच जिले** | | **सबसे कमजोर पाँच बैंक** | |
| मुंगेर | 25.86 | साउथ इंडियन बैंक | 05 |
| सारण | 26.05 | फेडरल बैंक | 23.54 |
| भोजपुर | 26.74 | सेंट्रल बैंक | 26.36 |
| अरवल | 28.72 | बैंक ऑफ इंडिया | 27.74 |
| नालंदा | 31.24 | यस बैंक | 27.78 |

**मगध और शाहाबाद का बेल्ट काफी पीछे :** अगर समेकित रूप से बात करें तो मगध और शाहाबाद के इलाकों के बैंक कर्ज देने में सबसे पीछे हैं। सारण, भोजपुर और अरवल का सीडी रेशियों 30 से भी नीचे है। जो 17 जिले औसत से पीछे हैं, उसमें नालंदा, गोपालगंज, दरभंगा, जहानाबाद, सिवान, मधुबनी, लखीसराय, भागलपुर, पटना, बक्सर, गया, नवादा और शेखुपरा जिला

शामिल है।

**बड़े बैंक पिछड़े :** बिहार के 32 बैंकों को अगर सीडी रेशियो को तराजू पर तौलें तो बड़े बैंक काफी पीछे नजर आते हैं। उनकी तुलना में स्मॉल फाइनेंस व अन्य नए और छोटे बैंक कर्ज देने में आगे हैं। बिहार में सबसे अच्छा सीडी रेशियो 631 फीसद उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस का है। दूसरे स्थान पर 387 फीसद के साथ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इंडसइंड बैंक 365 फीसद और बंधन बैंक 226 फीसद के साथ अन्य बैंकों से बहुत आगे है। बड़े बैंको की बात करें तो सबसे बड़े बैंक एसबीआई का सीडी रेशियो महज 30.50 फीसद है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 26.36 फीसद के साथ उससे भी नीचे है। सबसे खराब 5.22 फीसद सीडी रेशियो साउथ इंडियन बैंक का है। आरबीएल और आइडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सितम्बर, 2020 तक कोई कर्ज ही नहीं दिया था।

**( साभार : दैनिक जागरण, 4.1.2021 )**

## आंतरिक संसाधन से धन जुटा रही है राज्य सरकार

| आंतरिक संसाधन से कर का लक्ष्य | |
|---|---|
| स्टेट जीएसटी | 20800 |
| सेल्स टैक्स-वैट | 5830 |
| स्टांप डयूटी-रजिस्ट्रेशन | 4700 |
| वाहन कर | 2500 |
| भूमि लगान | 500 |
| बिजली टैक्स | 3500 |
| गैर कर राजस्व | 5239 |

कोरोना के बावजूद राज्य सरकार अपने आंतरिक संसाधन से धन जुटाने में बहुत हद तक कामयाब होती नजर आ रही है। बेशक कई विभाग शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। फिर भी लक्ष्य के करीब पहुंचने की उम्मीद बन रही है। कर राजस्व वसूली करने वाले विभागों की सक्रियता बढ़ी है। उनके पास तीन महीने का समय भी बचा हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 का सालाना बजट दो लाख 11 हजार करोड़ रुपये का है। इसमें 34 हजार 750 करोड़ रुपया सरकार को अपने आंतरिक संसाधनों से जुटाना है। कर वसूली की सबसे बड़ी जिम्मेवारी वाणिज्यकर विभाग की है। उसे दो मदों (स्टेट जीएसटी 20800 एवं सेल्स टैक्स-वैट-5,830) 26 हजार 630 करोड़ रुपया वसूल करना है। दिसम्बर तक साढ़े 17 हजार करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है।

**( साभार : दैनिक जागरण, 9.1.2021 )**

## ज्यादा मूल्य के आभूषण खरीदने पर ही केवाईसी

वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि सोना, चाँदी और कीमती रत्न एवं पत्थरों की नकद खरीद के लिए केवाईसी संबंधी कोई नए नियम लागू नहीं किए गए हैं और केवल ऊँचे मूल्य वाली खरीद-फरोख्त के मामले में ही पैन कार्ड, आधार अथवा दूसरे दस्तावेजों की जरूरत होगी।

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 28 दिसम्बर, 2020 को जारी अधिसूचना को स्पष्ट करते हुए कहा कि दो लाख रुपये से अधिक के आभूषण, सोना, चाँदी और कीमती धातुओं रत्न और आभूषण की नकद खरीद पर केवाईसी की आवश्यकता देश में पिछले कुछ सालों से जारी है। यह अभी भी जारी है। मनी लांड्रिंग रोधी कानून, 2002 के तहत 28 दिसम्बर को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 10 लाख रुपये अथवा इससे अधिक का सोना, चाँदी, आभूषण और कीमती धातुओं का नकद सौदा करने पर केवाईसी दस्तावेज भरने होंगे।

सूत्रों ने कहा कि यह एफएटीएफ के तहत जरूरी है। यह कार्यबल वैश्विक स्तर पर बनाया गया है जो कि मनी लांड्रिंग और आतंकवादियों को वित्तपोषण के खिलाफ काम करता है।

**आभूषण निर्यात कोविड पूर्व स्तर पर :** प्रमुख बाजारों की मांग में सुधार ने नवम्बर और दिसम्बर के दौरान देश का रत्न एवं आभूषण निर्यात कोविड -19 से पहले के स्तर पर पहुँच गया है।

रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने कहा कि अमेरिका सहित प्रमुख बाजारों की मांग सुधर रही है। अमेरिका में धन्यवाद दिवस (थैंक्सगिविंग डे) के दिन खर्च में करीब 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

**( साभार : हिन्दुस्तान, 9.1.2021 )**

## टैक्स बढ़ेंगे... महंगा हो सकता है निबंधन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी

अगले वित्तीय वर्ष में राज्य के लोगों पर कर का बोझ बढ़ने की संभावना है। निबंधन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी को बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट की तैयारी में जुटे वित्त विभाग ने सभी विभागों को राजस्व के स्रोतों में वृद्धि करने का निर्देश दिया है। निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर में बढ़ोतरी के लिए यदि अधिनियम में संशोधन करने की जरूरत पड़े तो विभाग इसकी भी तैयारी करें। संशोधन के लिए 15 जनवरी से पहले वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजना होगा। यानी वित्त विभाग बजट सत्र में विधेयक लाएगा। कर या गैर कर राजस्व संग्रह करने वाले विभागों को यदि कर में बढ़ोत्तरी जायज नहीं लगती है तो उन्हें इसका स्पष्ट कारण भी बताना होगा। राज्य में राजस्व संग्रह की जिम्मेदारी मुख्य रूप से वाणिज्य कर, निबंधन, परिवहन, भू-राजस्व, खनन और सिंचाई विभाग की होती है। सत्र में वित्त विधेयक लाने के पीछे वित्त विभाग का तर्क है कि नया कर एक अप्रैल से लागू होगा और पूरे साल इसकी वसूली हो सकेगी।

**राज्य में अभी क्या हैं कर की मौजूदा दरें :** • **पेट्रोल** पर कर (वैट) 26% और सरचार्ज 30% • **डीजल** पर कर (वैट) 19% और सरचार्ज 30% • **निबंधन** शुल्क की दर अभी है 2% • **ग्रामीण** क्षेत्र में स्टाम्प ड्यूटी 6% • **शहरी** क्षेत्र में स्टाम्प ड्यूटी 8%

**( विस्तृत : दैनिक भास्कर 11.1.2021 )**

## राहत फेसलेस टैक्स पेनल्टी योजना शुरू

आयकर विभाग ने पहचान रहित कर आकलन (फेसलेस असेसमेंट) के तहत फेसलेस पेनल्टी स्कीम शुरू की है। इसकी अधिसूचना जारी की गई।

अधिसूचना के अनुसार, कर विभाग राष्ट्रीय फेसलेस पेनल्टी सेंटर, क्षेत्रीय पेनल्टी सेंटर, पेनल्टी यूनिट और पेनल्टी कार्यवाही के निष्णदन के लिए इकाइयों का गठन करेगा। इसके तहत राष्ट्रीय फेसलेस पेनल्टी सेंटर अपने क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लगाए गए जुर्माने को फिर से जांचने और बदलने का आदेश देगा।

वहीं, करदाता के पास अपील करने का अधिकार भी रहेगा। करदाता राष्ट्रीय फेसलेस पेनल्टी सेंटर द्वारा जुर्माना लगाने के बाद भी कमिश्नर के पास अपील कर सकता है।

कर विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक बेहतरीन पहल है। इसके शुरू होने से किसी करदाता पर लगाए गए जुर्माने की कई लेयर में जांच होगी। इसके बाद जुर्माना लगाने या खत्म करने का आदेश जारी किया जाएगा। इससे करदाताओं के बीच डर खत्म होगा और पूरी कर व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।

**नई पहल से करदाता को क्या फायदा होगा :** फेसलेस असेसमेंट शुरू होने से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उस मामले को स्क्रूटनी के लिए डाल दिया जाता था। स्क्रूटनी वाले मामलों में असेसमेंट के दौरान टैक्सपेयर को कई बार आयकर ऑफिस में अधिकारियों के पास पूछताछ के लिए जाना पड़ता है।

जानकार सूत्रों का कहना है कि इस प्रक्रिया से भ्रष्टाचार भी पैदा होता है। बड़े मामलों को गलत तरीके से निपटने की बात कही जाती थी लेकिन फेसलेस असेसमेंट से करदाता को स्क्रूटनी के लिए कर अधिकारी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और न ही अधिकारियों के सामने पेश होना पड़ना है। अब फेसलेस पेनल्टी शुरू हो जाने के बाद और पारदर्शिता आएगी। किसी करदाता पर पेनल्टी लगने पर कई लेयर में उसकी जाँच होगी। उसके बाद अंतिम फैसला होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और करदाताओं को राहत मिलेगी।

**ऑटोमेशन और प्रौद्योगिकी पर जोर :** प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर अधिकारियों का जोर ऑटोमेशन और प्रौद्योगिकी के जरिये कर व्यवस्था को सुचारू और पारदर्शी बनाने की है। यह कर अधिकारियों को टैक्स संग्रह बढ़ाने और कर चोरी पकड़ने में भी मदद कर रहा है। वहीं, ईमानदार करदाताओं को इससे राहत भी मिल रही है। उन्हें ऑफिस का चक्कर लगाना नहीं पड़ रहा है।

**( विस्तृत : हिन्दुस्तान, 14.1.2021 )**

**बिहार सरकार**
**वाणिज्य-कर विभाग**

बिहार कराधान विवाद समाधान योजना 2020- इसके अधीन आवेदन दाखिल करने की **अंतिम तिथि 28.2.2021** है- इच्छुक करदाता इस योजना का लाभ अवश्य उठाएँ

- सभी प्रकार के शास्ति, फाइन, ब्याज के बकाया में 90 प्रतिशत की छूट।
- किसी भी वैधानिक प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने पर इससे संबंधित सृजित बकाया कर से 100% की छूट
- अन्य निर्धारित कर में 65 प्रतिशत की छूट

**योजना के लाभ**

- इस योजना में दिनांक 31.08.2020 तक के सृजित मांग के बकाये के समाधान के लिए आवेदन दिया जा सकता है।
- विवाद के समाधान हेतु जमा की जानेवाली राशि में पूर्व में जमा राशि को घटाया जाएगा।

इस हेतु आवेदन नियमानुसार संबंधित अंचल को ई-मेल के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। सभी अंचलों के ई मेल आईडी विभागीय वेबसाईट **www.biharcommercialtax.gov.in** पर उपलब्ध है।

यदि विवाद के लिए कोई अपील, रिवीजन दाखिल किया गया हो अथवा नहीं किया गया है, इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।

यदि विवाद के विरुद्ध नीलाम पत्र दायर किया गया है, तब भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।

बिहार कराधान विवाद समाधान योजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट **www.biharcommercialtax.gov.in** पर उपलब्ध है।

शीघ्रता करें एवं इस हेतु आवेदन अपने वाणिज्य-कर अंचल में अविलम्ब दाखिल करें।

आयुक्त-सह-सचिव
बिहार, पटना

**( साभार : प्रभात खबर, 15.1.2021 )**

## राज्य के उद्यमियों के लिए आवश्यक सूचना

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा औद्योगिक इकाईयों को वर्त्तमान में ऑनलाईन सहमति प्रबंधन के तहत ऑनलाइन पोर्टल **http://bhocmms.nic.in** पर सशुल्क आवेदन करने पर तथा निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाली इकाइयों को सशर्त्त 'स्थापना' एवं 'संचालन' हेतु क्रमशः 'स्थापनार्थ सहमति' (Consent-to-Operate) दी जाती है।

संचालनार्थ सहमति हेतु पूर्व निर्धारित शर्तो को पूरा करने वाली इकाई को राज्य पर्षद् से एक बार 5 वर्षों के लिए सहमति प्रदान किया जाता है।

इकाई संचालक को पहले संचालनार्थ सहमति के नवीकरण (Renewal) हेतु ऑनलाईन आवेदन करना पड़ता था, जिसका विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन के पश्चात ऑनलाईन के माध्यम से नवीकरण सहमति आदेश निर्गत किया जाता था।

**अब दिनांक 01 जनवरी, 2021 से राज्य में उद्यमियों की सुगमता के लिए जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के तहत राज्य पर्षद् से इकाईयों को पूर्व से जारी 'संचालनार्थ सहमति' (Consent-to-Operate) की अवधि समाप्ति के 30 दिन पूर्व नवीकरण (Renewal) के लिए विकल्प चुनकर सशुल्क ऑनलाईन आवेदन देते ही अवधि विस्तार के साथ 'संचालनार्थ सहमति' का आदेश QR Code कोड के साथ स्वतः (Automaticaly) ही प्राप्त हो जायेगा। सहमति आदेश में अंकित QR Code में उस उद्योग के बारे में आवश्यक जानकारी दी गयी रहती है।**

सदस्य-सचिव

**बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्**

ई-मेल : bspcb@yahoo.com, वेबसाईट : http://bspcb.bih.nic.in

**साभार : प्रभात खबर, 15.1.2021**

## छोटी फैक्ट्रियों को बिजली बिल में बड़ी राहत

आगामी एक अप्रैल के बाद बिहार में छोटे-छोटे कल-कारखाना चलाने वाले अगर दिन में फैक्ट्री चलाएंगे तो उन्हें मौजूदा समय में लग रहे बिजली बिल से 15 फीसदी कम पैसे खर्च करने होंगे। राज्य में छोटे कारखानों को बढ़ावा देने के लिए इस बार बिजली कंपनी ने यह प्रावधान किया है। देश में संभवतः बिहार इकलौता राज्य है जिसने छोटे कारोबारियों को यह सुविधा देने जा रहा है। अब तक यह सुविधा रात में फैक्ट्री चलाने वालों के लिए थी।

बिजली कंपनी की ओर से बिहार विद्युत विनियामक आयोग को सौंपे गए प्रस्ताव के अनुसार इस बार टाईम ऑफ डे टैरिफ (टीओडी) का प्रावधान किया है। इसके तहत लो टेंशन श्रेणी एक व दो के साथ ही सार्वजनिक नलकूप सेवा को शामिल किया गया है। लो-टेंशन में आटा-चक्की से लेकर राज्य के छोटे-छोटे फैक्ट्री चलाने वाले एक लाख से अधिक उपभोक्ता हैं।

टीओडी के अनुसार रात 11 बजे से सुबह के 11 बजे तक उपभोक्ताओं को अपनी खपत के अनुसार ही बिजली बिल देना होगा। चूँकि रात में फैक्ट्री में कामगार अधिक नहीं होते। इस कारण लोगों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं दिन के 11 बजे से शाम पाँच बजे को ऑफ पीक पीरियड माना गया है। इस अवधि में फैक्ट्री चलाने वालों को कुल बिजली खपत का 85 फीसदी ही बिल लगेगा। अब तक ऑफ पीक पीरियड रात के लिए तय था। दिन में यह सुविधा मिलने से व्यवसायियों को 15 फीसदी छूट मिलेगी।

वहीं प्रस्ताव के अनुसार शाम पाँच बजे से रात 11 बजे को पीक आवर माना गया है। इसमें सामान्य बिजली दर की तुलना में खपत से 20 फीसदी अधिक यानी 120 फीसदी बिजली बिल देना होगा। आने वाले वर्षों में कंपनी यही व्यवस्था दूसरे उपभोक्ताओं पर भी लागू करेगा।

• दिन में फैक्ट्री चलाने वालों को देनी होगी 15% कम राशि • रात में सामान्य तो पीक आवर में लगेगी 20% अधिक राशि

**एक नजर में :** • 1.04 लाख से अधिक हैं एलटीएस के उपभोक्ता • 1.50 लाख तक हो सकते हैं 2021-22 में उपभोक्ता • 74 किलोवाट तक खपत वाले हैं अभी इस श्रेणी में • 700 करोड़ लगभग सालाना की होती है कंपनी को आय

**बड़े उद्योगों को इन्सेंटिव :** हाईटेंशन यानी बड़े उद्योगों को कंपनी ने प्रोत्साहन राशि देने का मन बनाया है। जिन लोगों की बिजली खपत 50 से 70 फीसदी तक होगी, उन्हें 20 पैसे प्रति यूनिट इन्सेंटिव मिलेगा। वहीं 70 फीसदी से अधिक खपत होने पर कंपनी 30 पैसे प्रति यूनिट प्रोत्साहन राशि के रूप में बिल में समायोजन करेगी।

**अब 49 किलोवाट से ऊपर ही होंगे एचटी कनेक्शन :** अभी एलटीएस की श्रेणी दो भागों में बांटी गई है। एलटीएस एक में 0 से 19 किलोवाट तो दूसरी श्रेणी में 19 से 74 किलोवाट तक खपत वाले उपभोक्ता हैं। दूसरी श्रेणी में अधिक खपत होने पर भी हाईटेंशन का कनेक्शन नहीं लेते हैं।

इसलिए कंपनी ने अब एलटीएस में वही उपभोक्ता होंगे जिनकी खपत 49 किलोवाट तक होगी। इससे अधिक खपत होने वालों को हाईटेंशन यानी बड़े उद्योगों का कनेक्शन में शिफ्ट करना होगा। 31 मार्च 2022 तक लोगों को इसका विकल्प दिया गया है। ऐसा नहीं होने पर 49 किलोवाट से अधिक खपत वाले उपभोक्ता स्वतः ही हाईटेंशन के उपभोक्ता माने जाएंगे। **( हिन्दुस्तान, 14.1.2021 )**

## इस साल नहीं छपेगा बजट! पहली बार होगा ऐसा, मिलेगी सॉफ्ट कॉपी

आजादी के बाद (1947) से हर साल छपते आ रहे बजट दस्तावेज पर भी कोरोना का ग्रहण लग गया है। संक्रमण के डर से इस बार बजट 2021-22 के दस्तावेज नहीं छापे जा रहे हैं। सरकार को इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की मंजूरी मिल गई है। सभी संसद सदस्यों को इस बार बजट के दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी मुहैया कराई जाएगी।

**( साभार : आई नक्स्ट, 12.1.2021 )**

## कृषि विभाग (माप-तौल) विभाग

**कार्यालय आदेश संख्या - 06/2021**

पटना, दिनांक 11वी जनवरी, 2021

राज्य में अनुज्ञप्तिधारी मरम्मतिकर्ताओ के द्वारा बाट-बटखरों / इलेक्ट्रॉनिक तौलन यंत्र के मरम्मति के लिए जाने वाले शुल्क की एकरूपता के निमित निम्नि प्रकार दर निर्धारित की जाती है:-

### REPAIRING CHARGE LIST OF WEIGHING & MEASURING INSTRUMENT

**1. C. I. Weight**

| S.No. | Denomination | Probable Cost As Per Market Survey+GST (in Rs.) | Repairing Charge (in Rs.) |
|---|---|---|---|
| 1. | 50g | 20.00+ GST | 10.00 |
| 2. | 100g | 30.00+ GST | 10.00 |
| 3. | 200g | 40.00+ GST | 10.00 |
| 4. | 500g | 55.00+ GST | 10.00 |
| 5. | 1Kg | 80.00+ GST | 30.00 |
| 6. | 2kg | 160.00+ GST | 30.00 |
| 7. | 5kg | 390.00+ GST | 50.00 |
| 8. | 10kg | 700.00+ GST | 50.00 |
| 9. | 20kg | 1400.00+ GST | 50.00 |

**2. Bullion Weight**

| S.No. | Denomination | Probable Cost As Per Market Survey | Repairing Charge |
|---|---|---|---|
| 1. | | NA | — |

**3. Brass Weight**

| S.No. | Denomination | Probable Cost As Per Market Survey (in Rs.) | Repairing Charge (in Rs.) |
|---|---|---|---|
| 1. | | All Brass Weight Repairing Charge 50.00 | — |

**4. Beam scale**

| S.No. | Denomination | Probable Cost As Per Market Survey (in Rs.) | Repairing Charge (in Rs.) |
|---|---|---|---|
| 1. | 100kg | 1100.00+ GST | 100.00 |
| 2. | 50kg | 850.00+ GST | 80.00 |
| 3. | 20kg | 625.00+ GST | 60.00 |
| 4. | 10kg | 550.00+ GST | 60.00 |
| 5. | 5kg | 190.00+ GST | 40.00 |
| 6. | 2kg | 115.00+ GST | 40.00 |
| 7. | 1kg | 112.00+ GST | 40.00 |

**5. Non- Automatic Weighing Instrument (NAWI)**

| S.No. | Denomination | Probable Cost As Per Market Survey | Repairing Charge |
|---|---|---|---|
| 1. | 200.00 Rupees Servicing Charge (+) and parts Replacement Cost as Per Spare Parts Cost (price not exeeds MRP) | | |

**(Note :- All Repairing Charges Will be Enhanced @ 3% per Annum)**

उक्त के संबंध में निदेश दिया जाता है कि कोई अनुज्ञप्तिधारी मरम्मत -कर्ता उक्त निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं लेंगे।

ह०/-
नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान, बिहार, पटना

ज्ञापांक-61 दिनांक 11.01.2021

प्रतिलिपि – सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं सभी व्यापारी संघ को सूचनार्थ प्रेषित

## कार्यालय-संयुक्त कृषि निदेशक-सह-नियंत्रक

**माप एवं तौल, बिहार, पटना।**

पत्रांक – माप-तौल (विविध) 74/2020 पटना, दिनांक वी जनवरी, 2021

**महत्वपूर्ण**

प्रेषक,
नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान,
बिहार, पटना।

सेवा में,
संयुक्त नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, (सभी),
उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, (सभी,
सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, (सभी),
निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान, (सभी)।

विषय :- बिहार विधिक माप विज्ञान (प्रवर्त्तन) नियमावली 2014 के नियम 18 के तहत् माप-तौल उपकरणों के उपयोगकर्त्ता के द्वारा माप-तौल उपकरणों के सत्यापन- मुहरांकन कार्य हेतु शुल्क जमा करने के निमित निदेश के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विधिक माप विज्ञान (प्रवर्त्तन) नियमावली 2014 के नियम 17 एवं 18 के तहत् माप-तौल उपकरणों के उपयोगकर्त्ता के द्वारा माप-तौल उपकरणों के सत्यापन-मुहरांकन कार्य हेतु विधिक माप विज्ञान, पदाधिकारी को शुल्क लेने एवं इसे जमा करने के निमित प्राधिकृत किया गया है।

विधिक माप विज्ञान, पदाधिकारी के कार्यालय के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही है कि, उनके द्वारा माप-तौल उपकरणों का शुल्क चालान द्वारा जमा करने पर आपत्ति दर्ज ही जाती है।

इस संबंध में निदेश दिया जाता है शुल्क की राशि सीधे Online के माध्यम से ही कोषागार में जमा करने को बढ़ावा दिया जाय एवं नगद राशि जमा करने को हतोत्साहित किया जाय, इस हेतु निम्न निदेश दिया जाता है:-

1. वित्त विभाग, बिहार के O-Grass के माध्यम से बिहार राज्य के Deposit Head मुख्य शीर्ष-1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ 106-तौल एवं माप पर मोहर लगाने को शुल्क- 0001-तौल एवं माप पर मोहर लगाने को शुल्क, विपत्र कोड आर-1475001060001 में Online जमा करना।
2. विधिक माप विज्ञान पदाधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क एवं प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ट्रेजरी चालान / बैक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना।
3. माप-तौल से संबंधित शुल्क जो वर्तमान् में नगद राशि लेकर विधिक माप विज्ञान, पदाधिकारी द्वारा रसीद निर्गत किया जाता है, को दिनांक 1. 2.2021 से पूर्णत: रोक लगाई जाती है, तथा दिनांक 31.1.2020 तक जारी किये गये मनी रसीद का हिसाब कर इस संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे एवं स्टॉक में बचे मनी रसीद पुस्तिकाओं को प्राप्त किये गये स्थान पर वापस करना सुनिश्चित करेंगे।

इसमें कृषि निदेशक, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
नियंत्रक
विधिक माप विज्ञान, बिहार, पटना

ज्ञापांक संख्या-54 पटना 11वीं जनवरी, 2021

प्रतिलिपि – सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं सभी व्यापारी संघ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

ह०/-
नियंत्रक
विधिक माप विज्ञान, बिहार, पटना

## भूल सुधार

चैम्बर बुलेटीन के माह दिसम्बर 2020 के अंक में पृष्ठ 3 पर "चैम्बर ने उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव का किया स्वागत" वाले हेडिंग के नीचे फोटोग्राफ के कैप्सन मे पूर्व उपाध्यक्ष की जगह पूर्व अध्यक्ष छप गया है। कृपया इसें सुधार कर पढ़ा जाय।

## राज्य के सभी प्लास्टिक उद्यमियों के लिए
## आवश्यक सूचना

देश में अपशिष्ट प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल तरीकों से प्रबंधन हेतु मार्च, 2016 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 अधिसूचित है।

इस नियमावली में अपशिष्ट प्लास्टिक के पुन: चक्रित (Recycle) कर पुन: चक्रित प्लास्टिक से अन्य उत्पाद बनाने वाली इकाईयाँ; प्लास्टिक पैकेजिंग बनाने वाली इकाईयाँ; अपने उत्पादों का प्लास्टिक मैटेरियल में पैक कर बाजार में उपलब्ध कराने वाली इकाईयों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के तहत राज्य पर्षद् से पुन: चक्रणकर्त्ता (Recycler), प्रोड्यूसर (Producer), ब्रांड-ऑनर (Brand Owner) अथवा आयातक (Importer) के रूप में निबंधन (Registration) प्राप्त करना अनिवार्य है।

जिन इकाईयों द्वारा अब तक राज्य पर्षद् से निबंधन प्राप्त नहीं किया गया हो, वे पर्षद् के ऑनलाईन पोर्टल- http://bhocmms.nic.in पर 15 दिनों के अन्दर आवश्यक रूप से आवेदन कर निबंधन प्राप्त करना सुनिश्चित कर लें।

उक्त तिथि के बाद चिन्हित की गई इकाईयों को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा OA No. 247/2017 में पारित आदेश के आलोक में बंद करने तथा उनसे पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली एवं/ अथवा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

जन-सामान्य से अनुरोध है कि इससे संबंधित शिकायत पर्षद् के ई-मेल grievance@bspcb.in अथवा व्हाट्सएप नम्बर - 7070379278 पर भेज सकते हैं।

सदस्य-सचिव

**बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्**

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना- 800 010

दूरभाष नं.- 0612-2261250, 2262265, फैक्स- 0612-2261050

ई-मेल- bspcb@yahoo.com,वेबसाईट- http://bspcb.bih.nic.in

**(साभार : प्रभात खबर, 13.1.2021)**

## बिहार गजट

**असाधारण अंक**

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 पौष 1942 (श.)

(सं. पटना 34) पटना, मंगलवार, 12 जनवरी 2021

**वाणिज्य-कर विभाग**

**अधिसूचना**

12 जनवरी 2021

एस. ओ. 73, दिनांक 12 जनवरी 2021- बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 164 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, बिहार माल और सेवा कर नियमावली 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात : -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।-**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) नियमावली, 2021है।

(2) ये नियम 01जनवरी, 2021 की तारीख से प्रवृत्त हुये माने जायेंगे।

2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इस अधिसूचना इसके पश्चात उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 59 में उपनियम (5) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम को अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात-

"(6) इस नियमावली में किसी भी बात के होते हुए भी,-

(क) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने पिछले दो महीने के लिए प्ररूप **जीएसटीआर- 3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं करी है तो उसे धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।

(ख) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की, जिसे धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन हर तिमाही का रिटर्न भरना जरूरी हो, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप **जीएसटीआर-1** में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप **जीएसटीआर- 3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसपर नियम 86ख के अधीन यह प्रतिबंध हो कि 99% से अधिक देय कर का भुगतान करने के लिए वह अपने इलेक्ट्रॉनिक लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं कर सकता है, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप **जीएसटीआर- 1** में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप **जीएसटीआर- 3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

(सं. सं. बिक्री-कर/जीएसटी/विविध- 21/2017 (खंड-9) 81)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

24 पौष 1942 (श.)

(सं. पटना 47) पटना, वृहस्पतिवार, 14 जनवरी 2021

**वाणिज्य-कर विभाग**

**अधिसूचना**

14 जनवरी 2021

एस. ओ. 74, दिनांक 14 जनवरी 2021- बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (बिहार अधिनियम 09, 2020) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, 01 जनवरी 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 और 13 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

(सं. सं. बिक्री-कर/जीएसटी/विविध- 21/2017 (खंड-10) 131)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

24 पौष 1942 (श.)

(सं. पटना 48) पटना, वृहस्पतिवार, 14 जनवरी 2021

**वाणिज्य-कर विभाग**

**अधिसूचना**

14 जनवरी 2021

एस. ओ. 75, दिनांक 14 जनवरी 2021- बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, बिहार माल और सेवा कर नियमावली 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिहार माल और सेवा कर (चौदहवाँ संशोधन) नियमावली 2020 है।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय ये 22 दिसम्बर, 2020 की तारीख से प्रवृत्त हुये माने जायेंगे।

2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियमावली कहा गया है), के नियम 8 में, उपनियम (4क) के स्थान पर, अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होने के साथ, निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(4क) नियम (4) के अधीन दिए जाने वाले प्रत्येक आवेदन के पश्चात, आवेदक का जहाँ आवेदक कोई व्यक्ति है अथवा जहाँ आवेदक कोई व्यक्ति नहीं है वहाँ धारा 25 की उपधारा (6क) के अंतर्गत यथा अधिसूचित आवेदक के संबंध में आने वाले ऐसे व्यक्तियों का-

(क) बायोमैट्रिक आधारित आधार सत्यापन और फोटोग्राफ लिया जाएगा, यदि उसे धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन छूट प्राप्त न हो और यदि उसने अपने आधार संख्या के अभिप्रमाणन का विकल्प दिया हो तो; या

(ख) यथा अधिसूचित बायोमैट्रिक सूचना, फोटोग्राफ लिया जाएगा और ऐसे अन्य केवाईसी कागजातों का सत्यापन किया जाएगा, यदि उसे धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन छूट प्राप्त न हो और यदि उसने आधार का अभिप्रमाणन का विकल्प नहीं चुना है,

और साथ ही **प्ररूप जीएसटी आरईजी - 01** में दिए गए आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रतियों का, इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त के द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र में, सत्यापन किया जाएगा और ऐसे आवेदन को तभी पूरा माना जाएगा जब इस उपनियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया पूरी हो जाती है।"

3. उक्त नियमावली में, नियम 9 में,-

(क) उपनियम (1) में-

(i) "आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से" शब्दों के पश्चात "तीन" शब्द के स्थान पर "सात" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) परंतुको के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात-

"परंतु जहाँ-

(क) कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या के सत्यापन से चूक जाता है या आधार संख्या के सत्यापन का विकल्प का चयन नहीं करता है; या

(ख) समुचित अधिकारी, आयुक्त के द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी के अनुमोदन से जो कि सहायक आयुक्त से निम्न पद का न हो, कारोबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन कराया जाना उचित समझता है तो,

नियम 25 के अधीन दी गई रीति से, उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में कारोबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन कराये जाने के पश्चात तथा जैसा उचित अधिकारी उचित समझें ऐसे कागजातों का सत्यापन किए जाने के पश्चात, आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।",

(ख) उपनियम (2) में,

(i) "तीन" शब्द के स्थान पर "सात" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात-

"परंतु जहाँ-

(क) कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 का उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या का सत्यापन से चूक जाता है या आधार संख्या के सत्यापन का विकल्प का चयन नहीं करता है; या

(ख) समुचित अधिकारी, आयुक्त के द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी के अनुमोदन से जो कि सहायक आयुक्त से निम्न पद का न हो, कारोबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन कराया जाना उचित समझता है तो,

ऐसे आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से अधिकतम तीस दिनों के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी- 03 में नोटिस जारी किया जा सकेगा।";

(ग) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(5) यदि समुचित अधिकारी कोई कार्यवाही करने से चूक जाता है,-

(क) आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर उस मामले में जहाँ कि ऐसा व्यक्ति उपनियम (1) को परंतुक के अंतर्गत नहीं आता है तो; या

(ख) आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर जहाँ ऐसा व्यक्ति उपनियम (1) के परंतुक के अंतर्गत आता हो तो; या

(ग) उपनियम (2) के अंतर्गत आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किये गए स्पष्टीकरण, जानकारी या दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस के अवधि के भीतर तो,

रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के आवेदन को अनुमोदित हुआ समझा जाएगा।"

4. उक्त नियमावली में, नियम 21 में,-

(क) खंड (ख) में, "माल या सेवाओं" शब्दों के पश्चात "या दोनों" शब्दों को अंत: स्थापित किया जाएगा;

(ख) खंड (घ) के पश्चात, निम्नलिखित खंडों को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(ङ) धारा 16 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण में इनपुट कर प्रत्यय का लाभ प्राप्त करता है; या

(च) धारा 37 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-1** में एक या एक से अधिक कर अवधि के लिए प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे उसके द्वारा संबन्धित कर अवधियों के लिए धारा 39 के अधीन प्रस्तुत की गई वैध विवरणी में घोषित किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे से अधिक है; या

(छ) नियम 86 ख के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।"

5. उक्त नियमावली में, नियम 21क में,-

(क) उपनियम (2) में, "उक्त व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात" शब्दों को लोप कर दिया जाएगा;

(ख) उपनियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम को अंत: स्थापित किया जाएगा:-

"(2क) जहाँ, धारा 39 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियों की तुलना

(क) **प्ररूप जीएसटीआर-1** में प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे; या

(ख) उसके आपूर्तिकर्ता के द्वारा उनके **प्ररूप जीएसटीआर-1** में प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे के आधार पर निष्कर्षित आवक प्रदायों के ब्यौरे, या ऐसे अन्य विश्लेषण, जो परिषद की सिफारिशों पर किए जा सकेंगे, करने पर यह पता चलता हो कि ऐसी

महत्वपूर्ण अंतर या विसंगतियां हैं जो अधिनियम के उपबंधों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है, जिससे उक्त व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता हो, तो उसके रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को, उक्त अंतर और विसंगतियों को दर्शाते हुए, सामान्य पोर्टल पर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, **प्ररूप जीएसटी आरईजी-31** में या रजिस्ट्रीकरण के समय दिए गए ई-मेल पते, या समय-समय पर संशोधित पते पर, इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा और उसे तीन दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द क्यों न किया जाए।";

(ग) उपनियम (3) में, "या उपनियम (2)" शब्द कोष्ठक और अंक के पश्चात "या उपनियम (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर को अंत: स्थापित किया जाएगा;

(घ) उपनियम (3) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(3क) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसका

"(3क) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसका रजिस्ट्रीकरण उपनियम (2) या उपनियम (2क) के अधीन निलंबित कर दिया गया हो, उसके रजिस्ट्रीकरण के निलंबित रहने के अवधि के दौरान, धारा 54 के अधीन कोई भी प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।";

(ङ) उपनियम (4) में,-

(i) "या उपनियम (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात "या उपनियम (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर को अंत: स्थापित किया जाएगा;

(ii) निम्नलिखित परंतुक को अत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"परंतु इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के निलंबन को समुचित अधिकारी प्रतिसंहरण कर सकता है, रद्दीकरण की प्रक्रिया के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय यदि वह उचित समझता है तो।"

6. उक्त नियमावली में, नियम 22 में, -

(क) उपनियम (3) में, "उप-नियम (1) के अधीन जारी कारण बताओं" शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात "या नियम 21क के उपनियम (2क) के अधीन" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर को अंत: स्थापित किया जाएगा;

(ख) उपनियम (4) में, "उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत प्रत्युत्तर" शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात "या नियम 21क के उपनियम (2क) के अधीन जारी नोटिस के उत्तर में" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर को अंत: स्थापित किया जाएगा।

7. उक्त नियमावली में, नियम 36 में, उपनियम (4) में, 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी, -

(क) दोनों जगह जहाँ-जहाँ भी "अपलोड" शब्द का उपयोग हुआ है वहाँ-वहाँ इसके स्थान पर "प्रस्तुत" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) दोनों ही जगहों पर जहाँ-जहाँ "प्रदायकर्ताओं द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन" शब्द कोष्ठक और अंक का उपयोग हुआ है वहाँ-वहाँ इनके पश्चात "**प्ररूप जीएसटीआर-1** में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा की उपयोग करते हुए" शब्द, अक्षर और अंक को अंत: स्थापित किया जाएगा;

(ग) "10 प्रतिशत" अंक और शब्द के स्थान पर "5 प्रतिशत" अंक और शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

8. उक्त नियमावली में, नियम 59 में, उपनियम (4) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(5) इस नियम में किसी भी बात के होते हुए भी,-

(क) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने पिछले दो महीने के लिए प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं करी है तो उसे धारा 37 के अधीन प्ररूप **जीएसटीआर-1** में अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।

(ख) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसे धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन हर तिमाही का रिटर्न भरना जरूरी हो, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप **जीएसटीआर-1** में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसपर नियम 86ख के अधीन यह प्रतिबंध हो कि 99% से अधिक देय कर का भुगतान करने के लिए वह अपने इलेक्ट्रॉनिक लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं कर सकता है, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप **जीएसटीआर-1** में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

9. उक्त नियमावली में नियम 86क के पश्चात 01 जनवरी, 2021 से निम्नलिखित नियम को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

**"86ख. इलेक्ट्रॉनिक लेजर में उपलब्ध रकम के उपयोग पर प्रतिबंध –** इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उन मामलों में ऐसी कराधेयता के 99% से अधिक आउटपुट कर के लिए अपनी देयता के निष्पादन हेतु इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि का इस्तेमाल नहीं करेगा जहाँ छूट आपूर्ति तथा शून्य दर वाली आपूर्ति से भिन्न कराधेय आपूर्ति का मूल्य एक माह में पचास लाख रुपये से अधिक है:

परंतु उक्त प्रतिबंध वहाँ नहीं लागू होगा जहाँ-

(क) यथास्थिति उक्त व्यक्ति अथवा स्वामी अथवा कर्ता अथवा प्रबंध निदेशक अथवा इसके दो साझीदारों में से कोई एक, पूर्णकालिक निदेशक, संघों की प्रबंध समिति के सदस्य अथवा बोर्ड न्यासी, ने विगत दो वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन आयकर के रूप में एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया है जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आयकर विवरणी दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गयी है; अथवा

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने धारा 54 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के खण्ड (i) के अधीन अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में प्रतिदाय रकम एक लाख रुपये से अधिक प्राप्त की है; अथवा

(ग) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने धारा 54 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के खण्ड (ii) के अधीन अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में प्रतिदाय रकम एक लाख रुपये से अधिक प्राप्त की है; अथवा

(घ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उस रकम के लिए इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर के माध्यम से उत्पाद कर के प्रति अपनी देयता का निर्वहन किया है जो चालू वित्तीय वर्ष में उक्त माह तक संचयी रूप से प्रयुक्त

कुल आउटपुट कर देयता के 1% से अधिक है; अथवा

(ङ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होता है–

(i) सरकारी विभाग; अथवा

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम; अथवा

(iii) स्थानीय प्राधिकरण; अथवा

(iv) सांविधिक निकाय :

परंतु यह भी कि आयुक्त अथवा उसकी ओर से प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे सत्यापन तथा ऐसे रक्षोपायों जिसे वह उचित समझे, के उपरांत उक्त प्रतिबंध को हटा सकता है।"

10. उक्त नियमावली में, नियम 138 के, उपनियम (10) में, 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी–

(क) तालिका के स्तंभ 2 में क्रम सं. 1 के सामने शब्द तथा अंक "100 कि.मी." के स्थान पर शब्द तथा अक्षर "200 कि.मी." को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) तालिका के स्तंभ 2 में क्रम सं. 2 के सामने शब्द तथा अंक "100 कि.मी." के स्थान पर शब्द तथा अक्षर "200 कि.मी." को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

11. उक्त नियमावली में नियम 138ङ में,–

(क) खण्ड (ख) में, "दो माह" शब्द के स्थान पर, "दो कर अवधि" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) खण्ड (ग) के उपरांत निम्नलिखित खण्ड को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

"(घ) एक व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण नियम 21 (क) के उपनियम (1) अथवा उपनियम (2) अथवा उपनियम (2क) के प्रावधानों के अधीन निलंबित कर दिया गया है।"

12. उक्त नियमावली में प्ररूप **जीएसटी आरईजी -30** के पश्चात, निम्नलिखित **प्ररूप** अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात–

**प्ररूप जीएसटी आरईजी - 31**

(नियम 21क देंखे)

संदर्भ सं. तारीख: <दिन><माह><वर्ष>

सेवा में,

जीएसटीआईएन :

नाम :

पता :

रजिस्ट्रीकरण को निलंबित करने के लिए सूचना और रद्दीकरण के लिए नोटिस

निम्नलिखित की तुलना में, यथा,

(i) अपने माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 39 के अंतर्गत भरे गए विवरणी;

(ii) अपने प्ररूप **जीएसटीआर -1** में भरे गए बाह्य आपूर्तियाँ का ब्यौरा;

(iii) अपने आवक आपूर्तियों का ऑटो जनरेटेड ब्यौरा,

-------- से -------- तक की अवधि से संबंधित;

(iv)............... (स्पष्ट करें)

और अन्य उपलब्ध जानकारी के मिलान में निम्नलिखित विसंगति / असंगति का पता चला है:

() टिप्पणी 1

() टिप्पणी 2

() टिप्पणी 3

(करदाता के सुसंगत मानदण्डों के आधार पर भरा जाने वाला ब्यौरा)

2. प्रथम दृष्टया विषंगतियों / अषंगतियों से यह प्रकट होता है कि इनसे बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन दर्शित करती है कि यदि इनका संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो आपके रजिस्ट्रीकृत को रद्दीकरण के लिये दायी होगा।

3. इस बात पर विचार करते हुए कि उपर्युक्त विषंगतियाँ/अषंगतियाँ इतनी गंभीर हैं और इनसे राजस्व संबंधी हित पर गंभीर खतरा पैदा हुआ है अत: क तात्कालिक उपाय के रूप में आपके रजिस्ट्रीकरण को नियम 21क के उपनियम (2क) के अनुसार इस सूचना की तारीख से रद्ध कर दिया जाता है।

4. आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस के भीतर अधिकार क्षेत्र वाले कर अधिकारी के पास अपना उत्तर प्रस्तुत कर दें जिसमें उपर्युक्त विषंगति/अषंगति के बारे में अपना स्पष्टीकरण दे दें। यदि जीएसटी के सामान्य पोर्टल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरीके से आपके दस्तावेजों का दुरूपयोग किये जाने की संभावना हो तो उसको भी विशेष रूप से अधिकार क्षेत्र वाले अधिकारी की जानकारी में लाया जाये।

5. आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये कागजातों के साथ-साथ आपके उत्तर से अधिकार क्षेत्र वाला अधिकारी यदि संतृष्ट होता है और अन्य किसी सत्यापन से जिसे उक्त अधिकार क्षेत्र वाला अधिकारी आवश्यक समझता है तो आपके रजिस्ट्रीकरण के आस्थगन को हटाया जा सकता है।

6. आप कृपया यह नोट कर लें कि यदि आप विनिर्दिष्ट अवधि में अपना उत्तर नहीं देते हैं या कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो आपके रजिस्ट्रीकरण को रद्ध किया जा सकता है।

**नाम :**

**पदनाम :**

नोट : यह एक सिस्टम जनरेटेड नोटिस है और इसके जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।"

(सं. सं. बिक्री-कर/जीएसटी/विविध- 21/2017 (खंड-10) 132)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

## मखाना और चाय उत्पादन के लिए 25% तक अनुदान

राज्य के युवाओं एवं किसानों को मखाना, फल, सब्जियाँ, मधु, औषधीय एवं सुगंधित पौधे, मक्का, बीज एवं चाय उत्पादन के लिए सरकार सहायता उपलब्ध करायेगी। पात्रता रखने वाले व्यक्तिगत निवेशकों के लिए परियोजना लागत का 15 प्रतिशत एवं किसान उत्पादक कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड पूंजीगत अनुदान का प्रावधान किया गया है। कृषि, सहकारिता एवं गन्ना उद्योग विभाग मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने दिनांक 14.1.2021 को विकास भवन स्थित कृषि विभाग के सभागार में बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति (बीएआइपीपी) की ऑनलाइन आवेदन प्रणाली की शुरुआत की । इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि विभिन्न फसलों के उत्पादन एवं प्रोसेसिंग के स्तर को बढ़ाने, खर्च को कम करने तथा निर्यात को बढ़ावा दिया जायेगा। किसानों की आय वृद्धि तथा नियोजन के अवसर सृजन करने के लिए एक सितम्बर, 2020 को बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति लागू की गयी। बिहार में इस नीति को कृषि विभाग, बिहार के उद्यान निदेशालय, बिहार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस नीति के तहत अनुदान के लिए सात सेक्टर चिह्नित किये गये हैं। चिह्नित सेक्टर में न्यूनतम 0.25 करोड़ और अधिकतम 5.00 करोड़ की परियोजना लागत वाली प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, विविधीकरण परियोजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है।

**इनको मिलेगा अतिरिक्त अनुदान :** राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अतिपिछड़ा वर्ग के निवेशकों के लिए उक्त श्रेणियों में पाँच प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान है। महिला उद्यमी, दिव्यांग, युद्ध विधवा, एसिड अटैक पीड़ित एवं थर्ड जेंडर के उद्यमी के लिए दो प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान है। कृषि निवेशकों को इस नीति के तहत पूर्व से लागू बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के लाभ भी प्राप्त होंगे।

मंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर संबंधित सहायक निदेशक, उद्यान को इस नीति के लिए नोडल पदाधिकारी मनोनीत किया गया है। उद्यान निदेशालय द्वारा निवेशकों की सहायता के लिए एक तकनीकी सहायता समूह की नियुक्ति की गयी है। उन्होंने बताया कि आवेदकों के लिए आवेदन की प्रक्रिया सुलभ बनाने के लिए

# माप–तौल उपकरणों के सत्यापन एवं मुहरांकण हेतु माप–तौल विभाग का शिविर चैम्बर में आयोजित

शिविर में माप-तौल उपकरणों का सत्यापन, मुहरांकन एवं नवीकरण करते माप-तौल विभाग के अधिकारीगण, चैम्बर के सदस्यगण एवं अन्य।

चैम्बर के अनुरोध पर माप–तौल उपकरणों के सत्यापन एवं मुहरांकण हेतु माप–तौल विभाग द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2021 को चैम्बर प्रांगण में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई सदस्यों ने अपने माप–तौल उपकरणों का सत्यापन, मुहरांकण एवं नवीकरण कराया ।

एक ऑनलाइन आवेदन प्रणाली निदेशालय के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। कार्यक्रम में कृषि सचिव एन सरवण कुमार ने कहा कि राज्य में कृषि निवेश की प्रबल संभावनाओं तथा उन पर दिये जाने वाले पूंजीगत अनुदान से कृषकों को काफी सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर आदेश तितरमारे, कृषि निदेशक विजय कुमार, विशेष सचिव भी मौजूद थे। **( साभार : प्रभात खबर, 15.1.2021 )**

## मधु उत्पादकों को संगठित कर आय बढ़ाएगी सरकार

सरकार मधुमक्खी पालकों कों संगठित कर उनका महासंघ बनाएगी। मधु व्यापार को बढ़ावा देने के लिए होने वाली इस व्यवस्था पर काम शुरू हो गया है। कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय ने 20 जिलों के मधुमक्खी पालकों की सूची सहकारिता विभाग को सौंप दी है। इनका समूह बनाने की जिम्मेवारी सहकारिता अधिकारियों को दी गई है। अब तक 35 समूहों का गठन कर उनके निबंधन का प्रस्ताव सहकारिता विभाग को मिल गया है। सभी बीस जिलों के तीन क्लस्टर बनाये गये हैं। क्लस्टर में जिलों के उन प्रखंडों को जोड़ा गया है, जहाँ मधु का अधिक उत्पादन होता है। राज्य सरकार दूध और सब्जी के बाद अब मधु व्यापार को संगठित करने की तैयारी में है।

योजना कम्फेड और वेजफेड की तरह मधुमक्खी पालकों का भी फेडरेशन बनाने की है। मधुमक्खी पालकों को एकजुट करने के साथ विभाग उनकी अर्थिक समृद्धि के उपाय भी करेगा। इसके लिए दूसरे विभागों में चल रही योजनाओं को भी एक साथ जोड़ा जाएगा।

**उत्पाद की बिक्री की गारंटी :** राज्य में दूध उत्पादकों को संगठित करने से हुए लाभ को देख सरकार यह व्यवस्था करने जा रही है। बिहार का दूध आज दिल्ली सहित दूसरे राज्यों में भी जाता है। कम्फेड उत्पादकों से दूध खरीद लेता है। लिहाजा उनकी आमदनी बढ़ जाती है।

वेज फेड के माध्यम से सब्जी उत्पादकों के लिए भी यह व्यवस्था की गई है। अब मधु उत्पादकों के लिए यह व्यवस्था हो जाने से उनके उत्पाद की बिक्री की गारंटी हो जाएगी।

**क्लस्टर में शामिल जिले :** • **क्लस्टर-1 के जिले :** पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया • **क्लस्टर-2 के जिले :** पटना, भोजपुर, बक्सर, सासाराम, नालंदा, गया और अरवल • **क्लस्टर -3 के जिले :** सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर, बांका, मुंगेर और जमुई

**मधु उत्पादन :** • 25 हजार टन मधु का उत्पादन होता है बिहार में • 40 हजार किसान हैं उत्पादन में • 07 लाख बक्से में होता है मधुमक्खी पालन • 20 जिलों में होता है उत्पादन **( विस्तृत : हिन्दुस्तान, 12.1.2021 )**

**EDITORIAL BOARD**

Editor
**AMIT MUKHERJI**
Secretary General

Convenor
**RAMCHANDRA PRASAD**
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
**A. K. DUBEY**
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296